कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद उधम सिंह नगर।

ईमेल–cfoudn.ukfs@gmail.com, फोन नं0–05944–240071

पत्रांक: न–3 / एफ0एस0 / ऑनलाईन / 2021 दिनांक अप्रैल 08, 2021

स्वामी / प्रबन्धक
प्रस्तावित ई0 डब्ल्यू0 एस0 ग्रुप हाउसिंग,
प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत,
मॉडल–2, खसरा नं0 51मिन एवं 52मिन,
कनकपुर काशीपुर, उधम सिंह नगर।

विषय :– **स्थापना पूर्व अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में।**

कृपया आपके ऑनलाईन आवेदन यूआईडी–73105335 दिनांक 31–03–2021 के अनुसार प्रस्तावित स्थल का प्रभारी अग्निशमन केन्द्र काशीपुर द्वारा निरीक्षण किया गया। प्रभारी अग्निशमन केन्द्र काशीपुर की ऑनलाईन निरीक्षण रिर्पोट के अनुसार निरीक्षण के दौरान उपरोक्त स्थल तक पर्याप्त पहुँच मार्ग उपलब्ध है जिस पर अग्निशमन विभाग के भारी वाहन आसानी से आवागमन कर सकते है। प्रश्नगत स्थल अग्निसुरक्षा के दृष्टिगत सुरक्षित पाया गया। उक्त स्थल पर आवासीय भवन के निर्माण में कोई आपत्ति नहीं है। भवन निर्माण के समय / निर्माणोपरान्त निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्था आवश्यक हैः–

07 प्रस्तावित भवन निर्माण कार्य एवं प्रस्तावित भवन में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था, राष्ट्रीय भवन संहिता–2005 (संशोधन–2016) एवं उत्तराखण्ड भवन निर्माण उपविधि–2011 (यथासंसोधित) में निहित मानकों के अनुसार कराया जाना अनिवार्य होगा।

08 संस्थान में मानकानुसार सैट बैक अग्र भाग में 8.5 मीटर, पृष्ठ भाग में 05 मीटर, पार्श्व–1 में 05 मीटर एवं पार्श्व2 में 05 मीटर छोड़ा जाना आवश्यक होगा।

09 प्रस्तावित भवन में जीने की न्यूनतम चौडाई 01 मीटर एवं कोरीडोर की न्यूनतम चौडाई 01 मीटर से किसी भी दशा में कम नही होगी।

10 प्रस्तावित भवन में पार्किंग की व्यवस्था पृथक से की जानी आवश्यक होगी। अग्निशमन विभाग के भारी वाहनों के परिसर में प्रवेश हेतु मेन गेट की चौडाई किसी भी दशा में 4.5 मीटर से कम नही होगी। यदि आर्च या कवर्ड गेट का निर्माण कराया जाता है तो इस दशा में हैड रूम 05 मीटर से कम नही होगा।

प्रश्नगत भवन में राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता–2016, के अनुसार निम्नाकिंत अग्निशमन व्यवस्थाऐं की जानी आवश्यक होंगी :–

01 प्रत्येक ब्लॉक के टैरेस में न्यूनतम 05 हजार लीटर क्षमता का टैरेस टैंक का प्राविधान किया जाना आवश्यक होगा जिसमें प्रत्येक तल / उचित दूरी पर हॉजरील्स का प्राविधान किया जाना अनिवार्य है।

02 प्रत्येक ब्लॉक के टैरेस में 450 लीटर प्रतिमिनट क्षमता का टैरेस टैंक स्थापित किया जाना आवश्यक है।

03 भवन के आच्छादित क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर प्रति एक एक्सटिंग्यूशर की दर से पोर्टेबल अग्निशमन यंत्रों तथा फायर एक्सटिंग्यूशरों की व्यवस्था की जाय।

04 सुझाये गये सभी अग्निशमन उपकरण / यंत्र भारतीय मानक द्वारा प्रमाणित होने चाहिए।

11 स्थानीय फायर स्टेशन 101 / 112, थाने के टेलीफोन नम्बरों को फैक्ट्री के मुख्य प्रवेश द्वार के पास अंकित कराया जाय।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्तावित ई0 डब्ल्यू0 एस0 ग्रुप हाउसिंग प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत, मॉडल–2 खसरा नं0 51मिन एवं 52मिन कनकपुर काशीपुर, ऊधम सिंह नगर को स्थापना पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र की संस्तुति इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था नैशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 (यथासंशोधित) तथा उत्तराखण्ड भवन निर्माण उपविधि के अनुसार कराकर भवन के औद्योगिक प्रयोग से पूर्व पूर्व–संचालन अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
ऊधम सिंह नगर

Scanned with CamScanner